## FORM NO. C.A.-1

[Refer Rule 3 of the Customs (Appeal) Rules, 1982]

Form of Appeal to the	Commissioner (Appeals)	under Se	ction 128
. 0	f the Customs Act. 1962		

	of the Custon	as Act, 1962			
(1)	Noof19	•••••			
(2)	Name and address of the a	ppellant.			
(3)	Designation and address of order appealed against and				
(4)	Date of communication of against to the appellant.	communication of the decision or order appealed to the appellant.			
(5)	Address to which notices m	to which notices may be sent to the appellant.			
(6)	Whether duty or penalty or any application for dispen- made. (A copy of the Chall- shall be furnished).	sing with such de	eposit has been		
(64	A) Whether the appellant wish	es to be heard in	person.		
(7)	Reliefs claimed in appeal.				
	Statement Grounds o				
(i) (ii) (iii)	etc.				
Signature of representati	f authorised		Signature of the appellant.		
	Verifica	ation			
I, stated abov	e is true to the best of my inf		declare that what is		
Veri	fied today, thed	lay of19	•		
Place Pate					
Signature of representati			Signature of the appellant.		

- The grounds of appeal and the form of verification shall be signed *Notes* : (1) by the appellant in accordance with the provisions of Rule 3 of the Customs (Appeals) Rules, 1982.
  - (2) The form of appeal, including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

## प्रपत्र सं. सीए-1 [सीमा शुल्क(अपील) नियम, 1982 का नियम 3 देखें]

## सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के धारा 128 के तहत 'आयुक्त (अपील) को अपील करने का प्रपत्र'

(1)	सं19					
(2)	अपीलकर्ता का नाम और पता।					
(3)	निर्णय पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता या जिस आदेश के खिलाफ	अपील की गई है				
	और निर्णय या आदेश की तारीख।					
(4)	) अपीलार्थी के विरुद्ध अपील किए गए निर्णय या आदेश के संचार की तिथि।					
(5)	) पता जिस पर अपीलकर्ता को नोटिस भेजे जा सकते हैं।					
(6)	) क्या शुल्क या जुर्माना या दोनों जमा किया गया है: यदि नहीं, तो क्या ऐसी जमा राशि को समाप्त करने					
	के लिए कोई आवेदन किया गया है। (जिस चालान के तहत जमा किया गया है उसकी एव	<b>म प्रति प्रस्तुत की</b>				
	जाएगी)।					
	(6A) क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहता है।					
(7)	अपील में राहत का दावा।					
	तथ्यों का विवरण					
	अपील के आधार					
(i)						
(ii) (iii)	आदि					
	त प्रतिनिधि के	अपीलकर्ता के				
·	पर, यदि कोई हो।	हस्ताक्षर				
QX (1141	सत्यापन	Q*(1141X				
	(११ जानग					
में	अपीलकर्ता, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि	न ऊपर जो कहा				
	वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।					
🕻	आज सत्यापित किया गया, का दिन 19					
स्थान						
दिनांक.						
अधिकृत	त प्रतिनिधि के	अपीलकर्ता के				
•	पर, यदि कोई हो।	हस्ताक्षर				

टिप्पणियाँ : (1) अपील के आधार और सत्यापन के रूप में अपीलकर्ता द्वारा सीमा शुल्क (अपील) नियम, 1982 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) तथ्यों के बयान और अपील के आधार सिहत अपील का रूप दो प्रतियों में दायर किया जाएगा और उसे अपील के विरुद्ध हुए निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ किया जाएगा।